


मेरठ महायोजना 2021



संकेतिका

- ग्रामीण आबादी
- भावी विस्तार
- निर्मित आवासीय क्षेत्र
- आवासीय क्षेत्र (मध्यम घनत्व 300 से 450 व्यक्ति प्रति हेक्टे.)
- आवासीय क्षेत्र (निम्न घनत्व 250 से 300 व्यक्ति प्रति हेक्टे.)
- व्यवसायिक
- थोक मण्डी
- उद्योग
- कार्यालय
- सार्वजनिक सुविधाएँ (शैक्षिक संस्थाएँ एवं सामुदायिक सुविधाएँ)
- ऐतिहासिक स्थल
- बस अड्डा
- ट्रांसपोर्ट नगर
- हवाई पट्टी
- रेलवे लाईन एवं रेलवे क्षेत्र / रेलवे स्टेशन
- कार्गो सेन्टर
- पार्क एवं खुले स्थल / स्टेडियम
- वन
- ग्रीन वर्ज
- सीवेज ट्रीटमेंट एवं डम्पिंग ग्राउन्ड
- कब्रिस्तान एवं श्मशान
- तालाब, नदी, शमवाहा एवं नाले
- नगरीय कृषि क्षेत्र
- कृषि क्षेत्र
- अपरिभाषित क्षेत्र
- ऊपरली सेतु
- वर्तमान आन्तरिक मार्ग
- वर्तमान मार्ग
- प्रस्तावित मार्ग
- रेलवे लाईन
- विकास क्षेत्र सीमा
- नगर निगम सीमा
- ग्राम सीमा
- प्रथम चरण (2004 से 2011) / द्वितीय चरण (2012 से 2021)



मेरठ विकास प्राधिकरण

1. श्री श्रीराम कृष्ण
2. श्री श्रीराम कृष्ण
3. श्री श्रीराम कृष्ण
4. श्री श्रीराम कृष्ण
5. श्री श्रीराम कृष्ण
6. श्री श्रीराम कृष्ण
7. श्री श्रीराम कृष्ण
8. श्री श्रीराम कृष्ण
9. श्री श्रीराम कृष्ण
10. श्री श्रीराम कृष्ण
11. श्री श्रीराम कृष्ण
12. श्री श्रीराम कृष्ण
13. श्री श्रीराम कृष्ण
14. श्री श्रीराम कृष्ण
15. श्री श्रीराम कृष्ण
16. श्री श्रीराम कृष्ण

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ

मेरठ सम्मार्थि नियोजन खण्ड,
नगर स्वं ग्राम नियोजन विभाग उप-प्र.

शासनादेश संख्या 5360/8-3-06-5महा./2003टीसी आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3
लखनऊ, दिनांक 13 अक्टूबर, 2006 द्वारा स्वीकृत एवं विज्ञापित के प्रकाशन दिनांक 23.10.06 से प्रभावी।